आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
24/10/18	**जमाबंदी रद्द वाद सं0–15/2018–19** **सुमन प्रसाद मेहता** **बनाम** **नीरजा खेतान एवं अन्य** आवेदक श्री सुमन प्रसाद मेहता, पिता–स्व0 लखन प्रसाद मेहता सा0–राजगंज, थाना–बिहारीगंज जिला–मधेपुरा के द्वारा यह वाद पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा–दुजरा, थाना नं0–4, खाता सं0–10 खेसरा सं0–1178, रकवा–1 कट्ठा के लिए विपक्षी नीरजा खेतान वो सुधा खेतान पेसरान हरगोविन्द खेतान के नाम से कायम जमाबंदी सं0–1117 को रद्द कराने हेतु दायर किया गया है। यह वाद दिनांक–26.04.2018 को दायर किया गया। दिनांक–19.05.18 को प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान आवेदक के विद्व अधिवक्ता की तरफ से समय की मॉग की गयी। उसके बाद दिनांक–26.06.18 से आवेदक लगातार अनुपस्थित है। सुनवाई के लिए निर्धारित किसी भी तिथि यथा 26.06.18, 21.07.18, 08.08.18, 14.08.18, 06.09.18 एवं 04.10.18 को आवेदक उपस्थित नहीं हुए। स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदक को दिनांक–08.08.18 को अंतिम मौका दिया गया था। आवेदक के तरफ से आज भी कोई उपस्थित नहीं है। आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन के साथ दिनांक–22.06.1995 एवं दिनांक–06.12.2004 का केवाला एवं स्वत्व वाद सं0–64/1988 में दिनांक–09.09.2016 को पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल की गयी है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है, जिससे कि विपक्षी की जमाबंदी संदिग्ध या अवैध प्रमाणित हो। अतः आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 24/10/18 अपर समाहर्त्ता, पटना। 24/10/18 अपर समाहर्त्ता, पटना।	